न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढा

निगरानी संख्या 86/2017 तारीख रजू 03.11.17

सुरेश पुत्र सीताराम जाति सैन निवासी करीरा खुर्द तहसील खण्डार।

.....निगरानीगुजार

बनाम

ग्राम पंचायत गोठडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा।

.....अप्रार्थी

निर्णयः– दिनांक 5.4.19

निगरानी गुजार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार के प्रस्ताव संख्या 03 में पारित निर्णय 11.05.17 के विरूद्व प्रस्तुत की है, साथ ही ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार के प्रस्ताव संख्या 3 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.17 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस वकील निगरानी गुजार की सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानी गुजार द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश कानून एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपने प्रकरण संख्या 4/15 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.16 द्वारा ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा पट्टा संख्या 33 दिनांक 23.06.2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत गोठडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि विवाद ग्रस्त भूमि के संबंध में उभय पक्षकारान को सुनवाई, सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पंचायत नियमों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उभय पक्षकारान को नहीं सुनकर तीसरे पक्ष को सुनकर प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11.05.17 को निर्णय पारित कर दिया है जो नियम विरूद्व होने से निरस्त होने है, साथ ही वकील निगरानी गुजार ने ग्राम पंचायत गोठडा के प्रस्ताव संख्या 3 पारित आदेश दिनांक 11.05.17 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पंचायत करीरा खुर्द तहसील खण्डार

वकील निगरानी गुजार की बहस सुनने पत्रावली का अवलोकन करने एवं गहनता पूर्वक मनन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया है कि पूर्व में अदालत हाजा की निगरानी पत्रावली संख्या 4/15 सुरेश बनाम तेजकरण वगै. में पारित आदेश दिनांक 15.01.16 द्वारा पट्टा संख्या 33 दिनांक 23.06.2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत गोठडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में उभय पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पंचायत नियमों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। किन्तु ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा उभय पक्ष को न सुनकर तीसरे पक्ष को सुनकर निर्णय पारित कया गया है। अतः हमारे अभिमत में निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत गोठडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अदालत हाजा की निगरानी संख्या 4/15 में पारित आदेश दिनांक 15.01.16 में दिये गये आदेशानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक ......5.4.19......को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर